अंत्योदया–सरल

डिजिटल हरियाणा

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता
निःशक्तता पेंशन (योजना)

पात्रताः

1. 18 या इससे अधिक आयु का व्यक्ति (पुरूष / महिला) हो।
2. हरियाणा का स्थाई निवासी एंवम आवेदन प्रस्तुत करने के समय तीन वर्ष पूर्व से हरियाणा राज्य में रह रहा हो।
3. उसके नजदीक सम्बन्धी जैसे माता–पिता / सुपुत्र / पोत्र उसका पालन–पोषण न कर रहे हों और समस्त स्रोतों से उसकी स्वंय की वार्षिक आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित की गई व विभाग द्वारा प्रति वर्ष परिचालित की गई अकुशल श्रमिक की न्यूनतम वेतन से अधिक न हो।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र जिसमें निःशक्तता 60 प्रतिशत या इससे अधिक दर्शाई होः–
    - नेत्रहीनता।
    - अल्प दृष्टि।
    - कुष्ठ रोग मुक्त।
    - बाधिर एंव उंचा सुनना।
    - चलन निःशक्तता।
    - मानसिक मंदता अधिकतम 50 I.Q. के साथ
    - मानसिक रोग।

अपवाद

सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में ''पैंशन'' से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल हैः

* प्रोविडेंट फण्ड, अथवा

* किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वितीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

उपलब्ध लाभः

1. रू0 2500 / – प्रतिमास 01.04.2021 से लागू।

अंत्योदया–सरल

आवश्यक दस्तावेजः

1. आयु के सम्बन्ध में (निम्नलिखित में से कोई एक):
    - जन्म प्रमाण–पत्र (रजिस्ट्रार, जन्म एंव मृत्यु द्वारा जारी)।
    - विद्यालय प्रमाण–पत्र (स्कूल शिक्षा बोर्ड/अन्य सरकारी/प्राईवेट संस्थान द्वारा जारी)
    - वोटर कार्ड (निर्वाचन विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)
    - मतदाता सूची जिसमें आवेदक का नाम फोटो सहित दर्शाया गया हो (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)
    - यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध नही है, तो आवेदक को जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में मैडिकल निरक्षण हेतू लिखना चाहिए ताकि वह जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में गठित दो डाक्टरों की टीम को आवेदक की आयु का आंकलन करने के लिए मामला भेज सके।

2. स्थायी निवासी होने के सम्बन्ध में (निम्नलिखित में से स्वंय सत्यापित एक जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो):–
    - राशन कार्ड।
    - मतदाता पहचान–पत्र।
    - मतदाता सूची में आवेदक का नाम फोटो सहित।
    - उपरोक्त में से अगर आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही है, वह शपथ–पत्र देंगे जिसकी वैरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जायेगी।

3 अन्य दस्तावेज
    - आधार कार्ड (ऐच्छिक)
    - आवेदक के बचत बैंक खाते का विवरण पास बुक की फोटी प्रति सहित।
    - आवेदक का परिवार पहचान पत्र।

अंत्योदया–सरल

डिजिटल हरियाणा

सेवा के लिए फीसें:

सरकारी प्रभार	सेवा केन्द्र प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रू0 30/–	रू0 30/–

सेवा का अधिकार समय सीमा: 60 दिन।